

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

का.आ. 68.—केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, भा.कृ.अ.प.-कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय (डीकेएमए) को जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 13-10/2009-हिंदी/10]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER WELFARE

(Department of Agricultural Research and Education)

New Delhi, the 25th November, 2016

S.O. 68.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Department of Agricultural Research and Education hereby notifies the ICAR-Directorate of Knowledge Management in Agriculture (DKMA), ICAR, Krishi Anusandhan Bhavan, Pusa, New Delhi. The DKMA where more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. 13-10/2009-Hindi/10]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

(आवास प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

का.आ. 69.—यतः भू सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 20 की उप-धारा (1) के तृतीय परंतुक (यहां अधिनियम के रूप में सन्दर्भित) में यह व्यवस्था की गई है कि समुचित सरकार नियामक प्राधिकरण के गठन होने तक, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रयोजन हेतु किसी नियामक प्राधिकारी अथवा नियामक प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

और यतः, इस अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (4) के पहले परंतुक में यह व्यवस्था है कि अपीलीय प्राधिकरण के गठन होने तक, समुचित सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील की सुनवाई करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत किसी भी कार्यरत अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी;

और यतः केन्द्र सरकार, इस अधिनियम की धारा 2 (छ) के अनुसार चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकार है।

अतः अब, इस अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक और धारा 43 की उप-धारा (4) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु सचिव, आवास चण्डीगढ़ प्रशासन को नियामक प्राधिकारी और मूल्य सर्वर्धित कर प्राधिकरण, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को अपीलीय अधिकरण के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ओ-17034/18/2009-एच]

सतिन्दर पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION
(HOUSING DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 13th January, 2017

S.O. 69.—Whereas, the third proviso to sub-section (1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) (hereinafter referred to as the Act) stipulates that until the establishment of a Regulatory Authority, the appropriate Government shall designate any Regulatory Authority or any officer as the Regulatory Authority for the purposes under the Act;

And whereas, the first proviso to sub-section (4) of section 43 of the Act stipulates that until the establishment of an Appellate Tribunal, the appropriate Government shall designate any Appellate Tribunal functioning under any law for the time being in force to be the Appellate Tribunal to hear appeals under the Act;

And whereas, the Central Government is the appropriate Government under the Act for the Union territory of Chandigarh in terms of clause (g) of Section 2 of the Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 20 and the first proviso to sub-section (4) of section 43 of the Act, the Central Government hereby designates Secretary, Housing, Chandigarh Administration as the Regulatory Authority, and the Value Added Tax Tribunal, Union territory of Chandigarh as the Appellate Tribunal, respectively, for the purposes of the Act.

[F. No. O-17034/18/2009-H]
SATINDER PAL SINGH, Director

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

का.आ. 70.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 24/2013) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04.01.2017 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/74/2012-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अनुभाग अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 4th January, 2017

S.O. 70.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 24/2013) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 04.01.2017.

[No. L-12011/74/2012-IR (B-1)]

B. S. BISHT, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JABALPUR**

NO. CGIT/LC/R/24/2013

General Secretary,
Dainik Vetan Bhogi Bank Karmchari Sangathan,
F-1, Tripti Vihar,
Opp. Engineering College,
Ujjain (MP)

Versus

...Workman/Union